राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार

कुष्ठ रोग – एक परिचय

कुष्ठ रोग एक माइकोबैक्टेरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता हैं। वर्ष 1980 के दशक के प्रारम्भ में बहुऔषधि–चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार हुआ, जिसने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा में एक क्रान्ति ला दी। बहुऔषधि की दवा छः माह से एक साल तक सेवन करने से कुष्ठ रोगी पूर्णतया रोगमुक्त हो जाते हैं। कुष्ठ रोगी को शीघ्रातिशीघ्र चिन्हित कर एम0 डी0 टी0 की दवा शूरू कर देने पर कुष्ठ रोगियों में विकलांगता नहीं आती है ।

बिहार में बहुऔषधि चिकित्सा प्रणाली पूरे राज्य में वर्ष 1996–97 में लागू की गयी। वर्ष 1996–1997 से अभी तक बहुऔषधि चिकित्सा द्वारा करीब 12 लाख 65 हजार रोगियों को रोग से मुक्त किया जा चुका है। **कुष्ठ उन्मूलन कार्यकम का लक्ष्य कुष्ठ रोगियों का प्रसार दर एक या एक से कम प्रति 10,000 जनसंख्या पर लानी है। मार्च–2009 में बिहार राज्य का रोग प्रसार दर प्रति 10,000 जनसंख्या में 1.07 है।**

वैसे कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों में, जो अपना ईलाज देर से शूरू करते हैं उनमें विकलांगता आ जाती है। यह विकलांगता रिकन्स्ट्रक्टीव सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। रिकन्स्ट्रक्टीव सर्जरी की सुविधा मुजफ्फरपुर में लेप्रोसी मिशन अस्पताल, पटना मेडिकल कॉलेज एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध है।

रोगियों की जाँच एवं निदान :–

वर्तमान में जिला, अनुमंडलीय, रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुष्ठ रोग की जाँच एवं निदान की सुविधा तथा मुफ्त में एम0 डी0 टी0 दवा प्रत्येक कार्य दिवसों में उपलब्ध है।

दवा की उपलब्धता :–

राज्य में कुष्ठ रोग की एम0 डी0 टी0 दवा जिला अस्पताल से स्वास्थ्य उप–केन्द्रों तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों में आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है।

वित्तीय दिशा निर्देशन एवं इकाई राशि

बजट क्रम सख्या– 1
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– संविदा पर कार्यरत कर्मचारी
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

विभिन्न 18 जिलो में जिला कुष्ठ नाभिक दल द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु संविदा पर चालक कार्य करेगे जिनकी नियुक्ती जिला स्वास्थ्स समिति के द्वारा की जाएगी । जिनकी मानदेय प्रति माह –4500/–रूपये मात्र होगी।

बजट क्रम सख्या– 2
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– आशा कार्यकर्त्ता की प्रशिक्षण एवं मानदेय
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

- ग्राम स्तर पर कार्यरत आशा कार्यकत्ताओं की कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में उनकी सशक्त भागीदारी हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- यह प्रशिक्षण प्रखण्ड स्तर अर्द्ध दिवसीय होगा । प्रत्येक बैंच में 40 प्रतिभागी होगें ।
- प्रति बैंच 1800/– रूपये का प्रावधान है ।
- अल्पाहार– 30 X 45 = 1350
- प्रा0 स्वा0 केन्द्र के चि0 पदा0 का मानदेय– 150
- प्रा0 स्वा0 केन्द्र के Non Medical Assistant(NMA)/Non Medical Supervisor (NMS) का मानदेय– 100
- विविध खर्च – 200
- प्रखंड के चि0 पदा0,जिला कुष्ठ एवं प्रखंड के Non Medical Assistant (NMA) प्रशिक्षण को सम्पन्न करायेगे ।

आशा मानदेय :

- आशा द्वारा संर्दभित संदिग्ध कुष्ठ रोगी के प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर पुष्टि होने पर एवं उस रोगी के सफलतापूर्वक ईलाज पूर्ण करने पर निम्न मानदेय देने का प्रावधान है:–
- पी0 बी0 रोगी– 300 रूपये 100 रूपये रोग की पुष्टि होने पर एवं 200 रूपये ईलाज पूर्ण करने पर)
- एम0 बी0 रोगी– 500 रूपये (100 रूपये रोग की पुष्टि होने पर एवं 400 रूपये ईलाज पूर्ण करने पर)
- **आशा के मानदेय के लिए प्रत्येक** जिला को प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को देने हेतु 3000 हजार रूपये प्रति प्रखंड प्रदान किया जायेगा।

बजट क्रम सख्या– 3
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– कार्यालय खर्च एवं सामग्री
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

3.1 – कार्यालय खर्च – प्रत्येक जिला कुष्ठ कार्यालय को टेलीफोन, फैक्स, पोस्टल एवं टेलीग्राफ एवं विविध खर्च हेतु 18000/– रूपये का वार्षिक व्यय का प्रावधान है।

3.2 – सामग्री – स्टेशनरी इत्यादि के मद में प्रत्येक जिलें को 14000/– रूपये का वार्षिक व्यय का प्रावधान है।

बजट क्रम सख्या– 4
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– प्रशिक्षण
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

4.1 – दो दिवसीय नये चिकित्सा पदाधिकारियों का मॉडयुलर प्रशिक्षण :

- प्रत्येक बैच 30 प्रशिक्षुओं का होगा ।
- एक बैच पर 16700/– रूपये कि राशि आवंटित है जिसका विवरणी निम्न है :

– प्रशिक्षकों का मानदेय 300/– रूपये प्रति प्रशिक्षक (2 X 300 = 600)
– प्रशिक्षुओं का मानदेय 320/– रूपये (320 X 30 = 9600)
– अल्पाहार 100/– रूपये प्रति व्यक्ति (100 X 30 X 2 = 6000)
– विविध खर्च 500/– रूपये

4.2 – पहले से प्रशिक्षित चिकित्सा पदाधिकारियों का एक दिवसीय re-orientation training

- प्रत्येक बैच 30 प्रशिक्षुओं का होगा ।
- एक बैच पर 8000/– रूपये कि राशि आवंटित है जिसका विवरणी निम्न है :

– प्रशिक्षकों का मानदेय 200/– रूपये प्रति प्रशिक्षक (2 X 200 = 400)
– प्रशिक्षुओं का मानदेय 150/– रूपये (150 X 30 = 4500)
– अल्पाहार 50/– रूपये प्रति व्यक्ति (40 X 50 = 2000)
– दो सहायकों का मानदेय 75/– रूपये (75 X 2 = 150)
– स्टेशनरी एवं विविध खर्च 950/– रूपये

4.3 – शहरी क्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण (उन जिलों में जहाँ Urban Leprosy Control लागू है।)

- यह प्रशिक्षण बजट क्रम संख्या 4.1 के अनुसार होगा।

4.4 – एक दिवसीय हेल्थ सुपरवाईजर का प्रशिक्षण।

- कुल 70 बैच जिलों में अनुलग्नक –1 के अनुसार बांटे गये है।
- प्रत्येक बैच 30 प्रशिक्षुओं का होगा
- एक बैच पर 6500/– रूपये कि राशि आवंटित है जिसका विवरणी निम्न है:–

– प्रशिक्षकों का मानदेय 200/– रूपये प्रति प्रशिक्षक (2 X 200 = 400)
– प्रशिक्षुओं का मानदेय 100/– रूपये (100 X 30 = 3000)
– अल्पाहार 50/– रूपये प्रति व्यक्ति (40 X 50 = 2000)
– दो सहायकों का मानदेय 75/– रूपये (75 X 2 = 150)
– स्टेशनरी एवं विविध खर्च 950/– रूपये

बजट क्रम सख्या– 5
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– प्रचार– प्रसार
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

5.1 – स्कुल क्विज प्रतियोगिता ।

उद्देश्य – स्कुल के बच्चों एवं अध्यापकों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक करना ताकि वे इस जानकारी को अपने परिवार एवं समाज में बताये और कुष्ठ रोग के लक्षणो वाले व्यक्तियों को निकट के स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच एवं मुफ्त ईलाज के लिए प्रेरित करें।

पद्धति – एन०एम०ए० (Non Medical Assistant) /एम०एन०एस० (Non Medical Supervisor) ब्लॉक के स्कुलों को चिन्हित कर सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर स्कुलों में जायेंगे एवं हिन्दी में कुष्ठ संबंधी जानकारी देने के पश्चात प्रश्न पूछेंगे एवं सबसे अधिक उत्तर देनेवाले तीन बच्चों को अध्यापक की सहायता से चिन्हित करेंगे। उन्हें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय घोषित करके नगद पुरस्कार देंगे और रसीद ले लेंगे।

– प्रथम पुरस्कार	–	200/– रूपये
– द्वितीय पुरस्कार	–	150/– रूपये
– तृतीय पुरस्कार	–	100/– रूपये
– विविध खर्च	–	50/– रूपये

- प्रत्येक जिलें के हर प्रखंड में इस प्रकार के दस क्विीज संपन्न कराये जायेगे।

5.2 – स्वास्थ्य मेला – प्रति मेला 4000/– रूपये
– एक मेला प्रति जिला

प्रत्येक जिले में एक स्वास्थ्य मेला लगाकर उसके स्टॉल को प्रचार प्रसार की सामग्री से सजाकर एवं एम०डी०टी० दवा का काउंटर भी रखेंगे। रोगियों का निदान होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन करके तत्काल एम०डी०टी० द्वारा ईलाज प्रारंभ कर देंगे।

- यह मेला अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के स्वास्थ्य मेला में समेकित किया जा सकता है।

5.3 – पंचायत सदस्यों को कुष्ठ रोग के बारे में संवेदित करना।

प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंड में 4000/– रूपये प्रति प्रखंड प्रति बैठक निर्धारित है।

बजट क्रम सख्या– 6
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– ईंधन/किराये पर गाँड़ी
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु Monitoring एवं Supervision अति आवश्यक है । अतः प्रत्येक जिले को वाहन के ईंधन, रख–रखाव या किराये पर वाहन लेने हेतु प्रत्येक जिले को 75000/– रूपये एक वाहन हेतु प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है।

बजट क्रम सख्या– 7
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– विकलांगता की रोकथाम एवं चिकित्सीय पुर्नवास
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

यद्यपि कुष्ठ रोगियों की संख्या लगातार घट रही है परन्तु बहुत से कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति जो पहले से विकलांग हो चुके है उन्हे शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक करना एवं जो कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति विकलांग नही हुये है उन्हे विकलांगता से बचाये रखना तथा अल्सर वाले मरीजो का ईलाज विकलांगता की रोकथाम एवं चिकित्सीय पुर्नवास का मुख्य उद्देश्य है। इसके अन्तर्गत माईक्रोसेल्यूलर रबड़ निर्मित चप्पलें, विकलांग व्यक्तियों कि पुर्नशल्य चिकित्सा एवं न्यूराईटिस का इलाज मुख्य है।

7.1 – सहायता एवं साधन – कुष्ठ रोग विकलांगता का एक मुख्य कारण है, यदि कुष्ठ रोग शुरूआत में ही पहचान कर इलाज किया जाये तो विकलांगता से बचा जा सकता है। इसके अन्तर्गत बैसाखी स्पीलिंट इत्यादि हेतु 12500/– रूपये प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है।

7.2 – पुनर्शल्य चिकित्सा – कुष्ठ रोग से विकलांग व्यक्तियों को पुनर्शल्य चिकित्सा द्वारा पुनःकार्य करने योग्य एवं समाज में स्वीकार्य बनाया जा सकता है। बिहार में पी० एम० सी० एच०, पटना, डी० एम० सी० एच०, दरभंगा एवं टी० एल० एम० हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर में शल्य चिकित्सा द्वारा विकलांगता दूर की जाती है। वर्ष 2009–10 में प्रत्येक कुष्ठ प्रभावित विकलांग व्यक्ति जिसकी शल्य चिकित्सा होगी को 5000/–रूपये(तीन किस्तो में 3000 + 1000 + 1000) सहायता देने का प्रावधान है। इस व्यक्ति के परिवार को बी० पी० एल० कार्ड धारक होना आवश्यक है। साथ ही साथ पी० एम० सी० एच०, पटना, डी० एम० सी० एच०, दरभंगा के संबंधित विभाग को ड्रेसिंग मैटीरियल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्प्लींट आदि के लिए 5000/– रूपये प्रति शल्य चिकित्सा दिया जाएगा। पुनर्शल्य चिकित्सा के मद की राशि डी० एल० ओ० ऑफिस पटना, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर से व्यय की जायेगी। टी० एल० एम० मुजफ्फरपुर में शल्य चिकित्सा कराने वाले मरीजों को 5000/– रूपये मिलेंगे परन्तु हॉस्पिटल के ड्रेसिंग मैटीरियल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्प्लींट आदि के लिए 5000/– रूपये देय नही होगे।

बजट क्रम सख्या– 8
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– सामग्री एवं वितरण
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

8.1 – सहायक दवाऐं – कुष्ठ रोग में विकलांगता का मुख्य कारण न्यूराईटिस एवं रिऐक्शन है।

न्यूराईटिस एवं रिऐक्शन को पहचान कर समय पर Prednisolone दवा देना अतिआवश्यक है। अतः इस दवा का विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडो के अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अल्सर के रख–रखाव एवं ईलाज हेतु ड्रेसिंग मैटेरियल की आवश्यकता होती है। कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को दी जानेवाली सहायक दवाऐं निम्नवत्त है:–

– प्रत्येक जिले को 25000/– रूपये प्रतिवर्ष सहायक दवाओं को खरीदने के लिए राशि आवंटित है।

8.2 – प्रयोगशाला अभिकर्मक एवं उपकरण – 90 प्रतिशत कुष्ठ रोगी का लक्षणो से ही निदान कर लिया जाता है परन्तु कुछ रोगी कुष्ठ रोग के लक्षणो से नही पहचाने जा सकते है। ऐसे कठिन रोगियो की पहचान सकिन स्मीयर द्वारा की जाती है। जिसके लिए प्रयोगशाला अधिकर्मक एवं उपकरण की आवश्यकता है। ऐसे कठिन रोगी संक्रमक भी होते है। अतः इन रोगियो की तत्काल पहचान कर ईलाज करना रोगी के लिए एवं रोग को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। इस मद में 12000/– रूपये प्रति जिला प्रतिवर्ष आवंटित है।

बजट क्रम सख्या– 9
बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
कार्यक्रम का संचालन – जिला स्तर
कार्ययोजना की अवधि– .2009.2010

10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों को कुष्ठ निवारण हेतु विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह Infrastructure का अभाव है। अतः शहरी क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन हेतु अतिरिक्त धन राशि का प्रावधान किया गया जो 11वी पंचवर्षीय योजना में भी जारी है।

शहरी क्षेत्र को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

Sl. No.	Type of urban area	Number	Located in State/ UT *
1	Township	354	28
2	Medium Cities – I	55	19
3	Medium Cities – II	5	5
4	Mega Cities	8	7
Total		422	28

बिहार राज्य में 24 Township एवं 6 Medium City I चिन्हित किये गये है (अनुलग्नक–1)

कार्य योजना – (शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम परिपत्र संख्या T.16011/7/2000-Lep. (Coordn.) of May 2008)

1. स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान
2. स्टेक हॉल्डर्स को चिन्हित करन
3. स्थानीय नगरपालिका एवं जिला प्रशासन एम०डी०टी० सेवा निर्गत करने हेतु मुख्य केन्द्र होंगे ।
4. संवेदनीकरण बैठक का आयोजन ।
5. शहरी कुष्ठ उन्मूलन समिति का गठन ।
6. प्रतिवेदनों के रख–रखाव का तंत्र विकसित करना ।
7. एम० डी० टी० दवा की नियामित आपूर्ति एवं मरीजों तक उपलब्धता ।

List of Supportive Medicines for treatment of leprosy patients :

Besides the Anti leprosy drugs forming basic components of MDT, the following drugs / material essential to treat the following conditions should be available:-

1. Reactions
2. Disabilities
3. Eye complications
4. Commonly associated general conditions

1. Anti-reaction drugs
    1. Prednisolone
    2. Inj. Dexametasone
    3. Clofazimine (higher doses needed to treat reactions)
    4. Chloroform
    5. Aspirin

2. Material needed for disability cases
    1. Acriflavin Powder 25 gm
    2. Cotton
    3. Roller bandage
    4. Chlorhexidine gluconate (savlon)
    5. Gauze pieces
    6. Adhesive plaster
    7. Zink tapes
    8. Vaseline
    9. Splints of various type
    10. Antibiotic ointment
    11. Sulphonilamide power 250 gm
    12. POP

3. Material for ophthalmic conditions
    1. Atropine eye ointment
    2. Chloramphenicol (eye applicaps) 50x100
    3. Sulphacetamide eye drops 10 ml.
    4. Prednisolone eye drops

4. Drugs needed for general use.
    1. Tab Avil 25 mg
    2. Tab. Paracetamol
    3. Tab. B. Complex
    4. Tab. Iron with Folic Acid
    5. Tab. Dilodoquine Hydrochloride
    6. Tab. Mebaendazole
    7. Cap. Vit A & D
    8. Tab. Brufen
    9. Tab. Septran
    10. Tab. Aluminium Hydroxide
    11. Cap. Teatracycline
    12. Tab. Spasmindon
    13. Furazolidone
    14. Benzyl Benzoate 450 ml
    15. Tab. Multi Vitamin
    16. Inj. Avil
    17. Inj. 'B' Complex
    18. Inj. Imferon
    19. Inj. Mephentine
    20. Whitfield ointment 450 gm
    21. Tincture Benzoin co. 450 ml
    22. Tincture Iodine 450 ml

Township के लिए आवंटन 51000/– रूपये प्रति Township प्रतिवर्ष

1. सहायक दवाऐं – 9000/– रूपये

2. शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक वर्ष में 4 बार होगी, जिसके लिए 4000/– रूपये प्रति बैठक व्यय की राशि आबंटित है । (4 X 4000 = 16000) ।

3. पर्यवेक्षण हेतु वाहन ईंधन एवं रख–रखाव – 10000/– रूपये प्रतिवर्ष ।

4. आई० एम० ए० के चिकित्सकों का संवेदनीकरण 50 प्रतिभागी 1 बैच – 5000/–)

5. आई० पी० सी० वर्कशॉप – आगनवाड़ी एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवी के लिए 5 बैच (40 प्रतिभागी प्रति बैच) के लिए 2000/– रूपये प्रति बैच 2000 X 5 = 10000

6. विविध खर्च 1000/– रूपये

कुल खर्च 51000/– रूपये

Medium City 1 के लिए आवंटन 100000/– रूपये प्रति Medium City I प्रतिवर्ष

1. सहायक दवाऐं – 18000/– रूपये

2. शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक वर्ष में 4 बार – 6500/– रूपये प्रति बैठक (4 X 6500 = 26000)

3. पर्यवेक्षण हेतु वाहन ईंधन एवं रख–रखाव – 25000/– रूपये प्रतिवर्ष ।

4. आई० एम० ए० के चिकित्सकों का संवेदनीकरण 100 प्रतिभागी 2 बैच में – 5000/– प्रति बैच) 5000 X 2 = 10000

5. आई० पी० सी० वर्कशॉप – आगनवाड़ी एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवी के लिए 10 बैच 40 प्रतिभागी प्रति बैच) के लिए 2000/– रूपये प्रति बैच 2000 X 10 = 20000

6. विविध खर्च 1000/– रूपये

कुल खर्च 100000/– रूपये

नोटः– विस्तृत बजट अनुलग्नक संलग्न ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का नाम – डा0 एन0 एम0 शर्मा
संयुक्त निदेशक सह कुष्ठ राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
मोबाईल नम्बर – 9431311025